

हजारी बाग दो जिले बिहार के ऐसे हैं जो रेल हेड पर नहीं हैं। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। इसके बारे में आप निश्चित तौर पर घोषणा करें कि ये जो दो जिले रेल हेड पर नहीं हैं और इनके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं कि नहीं।

श्री उपसभापति : ठीक है, माननीय मंत्री जी।

श्री केदार पांडे : अब यह ठीक है कि इसकी नींव श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डाली थी बहुत साल पहले जब ललित बाबू रेल मंत्री थे, सन् 74 में। उसके बाद वह ऐसे ही लटका रहा। तब तक दूसरी हुकूमत आ गयी। उन्होंने इसकी केयर नहीं की है। सही बात यह है कि दूसरी हुकूमत बनी कुछ नहीं हुआ। अब इसमें जो इस्टीमेटेड कास्ट है वह 20 करोड़ की है और इस समय सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा है। तथा इसको लगेंगे पांच वर्ष बनने में... (व्यवधान)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अभी तक आपने कहा कि 84 में पूरा होगा...

(व्यवधान) मेरे पास रिकार्ड रखा हुआ है।

आपने कहा था 84 में कम्प्लीट होगा। अब पाँच साल कह रहे हैं।

श्री केदार पांडे : इसमें पांच वर्ष लगेंगे। धवराइये नहीं काम शुरू हो गया है।

श्री कल्पनाथ राय : आप रेल मंत्री को हैसियत से घोषणा किये हैं इसी हाउस में रेलवे बजट में कि 84 में बनेगा और आप आज मही घोषणा कीजिए। इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया है। कहिये।

श्री केदार पांडे : मैंने तो कहा कि नींव डाली प्राइम मिनिस्टर ने सन् 74 में। पांच साल तो ऐसे ही मलबे रह गया

और अब काम शुरू हुआ है। इसका काम बालडर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और उसको जितनी जल्दी हो सकेगा एक्सपेडाइट करेंगे। लेकिन पांच वर्ष जानबूझकर कर दिया है कि अगर कुछ काम रह गया तो आप कहेंगे क्यों इसलिए टू बी आन लेकर साइड पांच वर्ष लगेंगे।

हुमका और हजारी बाग के बारे में कृते है तो उसका सर्वे हो रहा है...

(व्यवधान)

श्री उपसभापति : जो प्रश्न छूट गये हैं उनका उत्तर भेज दिया जाएगा।

श्री कल्पनाथ राय : किस साल से पांच वर्ष ?

श्री केदार पांडे : इसी साल से।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted

THE APPROPRIATION NO. 5 BILL, 1981.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Appropriation No. 5 Bill.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): No, no, Sir. We object. You take it up tomorrow.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): Only introduction. We are not going to discuss.

THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI SAWAI SINGH SISODIA):

Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1981-82, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

Sir, the Bill arises out of Supplementary appropriations charged on the Consolidated Fund of India and demands voted by the Lok Sabha on the 10th September, 1981. These involve gross additional expenditure of Rs. 420.81 crores.

The gross requirements include Rs. 207.12 crores for transfer to States, Rs. 129.99 crores for Public Sector Enterprises and Rs. 83.69 crores for other items of expenditure.

Transfers to States include Rs. 200 crores for Ways and Means advances which are recoverable within the year and Rs. 6.75 crores as grants to States for providing subsidy for production of Janata Cloth in the handloom sector. For Agricultural Refinance and Development Corporation additional loan of Rs. 80 crores has been provided, Rs. 25 crores are for share capital of nationalised banks, Rs. 14.99 crores for loan to Bharat Heavy Electricals Limited for stockpiling spare parts for imported generating sets and Rs. 40 crores for

loan to Food Corporation of India for the non-statutory 'Sugar Price Equalisation Fund'.

Rs. 45.47 crores are required for payments in connection with takeover of certain units, Rs. 29 crores for subsidy payments to National Consumers' Co-operative Federation on controlled cloth and Rs. 6 crores for State Trading Corporation to cover losses on import of newsprint for supply to medium and small newspapers.

Receipts and recoveries relatable to these supplementary demands being of the order of Rs. 275.03 crores, the net outgo from the Consolidated Fund will be Rs. 145.78 crores.

I would not burden the House with further details of the Supplementary Demands as the same are available in the document laid on the Table of the House on 2nd September, 1981.

Sir, I move.

The question was proposed.

श्री उपसभापति : अब सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at twenty seven minutes past nine of the eleven of the clock on Tuesday, the 16th September, 1981.